होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों की भर्ती एवं मृतक/स्थायी रूप से विकलांग होमगार्डस स्वयंसेवकों /अवैतनिक पदाधिकारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर भर्ती से संबंधित शासनादेश

क्र0 सं0	शासनादेश का दिनांक	शासनादेश संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	06-09-2010	शासनादेश 2099/छः:नासु-10-438होगा/2007	होमगार्डस स्वयंसेवकों की भर्ती हेतु चयन बोर्ड व प्रक्रिया का निर्धारण	**0**5
2	01-09-2011	शासनादेश 1549/छः:नासु-11-32होगा/11	होमगार्डस विभाग में अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु चयन बोर्ड व प्रक्रिया का निर्धारण	**09**
3	27-09-2012	शासनादेश 2013/छः:नासु-12-188होगा/06	मृतक/स्थायी रूप से विकलांग होमगार्डस स्वयंसेवकों /अवैतनिक पदाधिकारियों के पात्र आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर भर्ती	**13**
4	12-01-2016	शासनादेश 3089/95-15-08 प्रकीर्ण/12	होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में **1-** शारीरिक दक्षता दौड़ परीक्षा में आर0एफ0आई0डी0 चिप के आधार पद दौड़ एवं विडियोग्राफी कराया जाना। **2-** भर्ती के आवेदन पत्र आन लाइन प्राप्त किया जाना। **3-** चयन प्रक्रिया में साक्षातकार की परीक्षा समाप्त किया जाना। **4-** शारीरिक माप-तौल समिति द्वारा नही करा कर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की माप-तौल मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित समिति के माध्यम से कराया जाना। **5-** पुरूष अभ्यर्थियों की सीना फूलाने पर की जाने वाली माप को हटाया जाना। **6-** अनुशासनिक कार्यवाही अथवा जांच प्रचलित होने पर संबंधित अधिकारी के स्थान पर महासमादेष्टा	**15**

			महासमादेष्टा द्वारा अन्य समकक्षीय अधिकारी को चयन समिति में नामित करने हेतु अधिकृत किया जाना।	
5	26-09-2019	शासनादेश 60/2019-1792/पन्चानबे-19-188होगा /06	मृतक/स्थायी रूप से विकलांग होमगार्डस स्वयंसेवकों /अवैतनिक पदाधिकारियों के आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में असफल होने पर पुन: अवसर दिया जाना।	**17**
6	27-09-2019	शासनादेश 61/2019-1815/पन्चानबे-19-8 प्रकीर्ण/ 2012	शासनादेश संख्या-3089/95-15-08 प्रकीर्ण/12 दिनांक 12-01-2016 का संशोधन आदेश मृतक/स्थायी रूप से विकलांग होमगार्डस स्वयंसेवकों /अवैतनिक पदाधिकारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर पर भर्ती हेतु चयन समिति में ऐसे अधिकारियों को न रखना जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित हो अथवा अभियोग पंजीकृत हो। महासमादेष्टा द्वारा अन्य समकक्षीय अधिकारी को चयन समिति में नामित करने हेतु अधिकृत किया जाना।	**19**
7	04-11-2019	शासनादेश 62/2019-1880/पन्चानबे-19-188होगा /06	मृतक/स्थायी रूप से विकलांग होमगार्डस स्वयंसेवकों /अवैतनिक पदाधिकारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर पर भर्ती के समय पात्र आश्रित के चयन/सेवायोजन के समय अभ्यर्थी की उम्र 18 से कम नही होना चाहिये।	**21**
8	10-09-2020	शासनादेश39/2020 /1364/पन्चानबे-2020-188होगा /06	मृतक/स्थायी रूप से विकलांग होमगार्डस स्वयंसेवकों /अवैतनिक पदाधिकारियों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर भर्ती के शासनादेश दिनांक 27-09-2012 के प्रस्तर-2(3) के परन्तुक में संशोधन करते हुए " शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाये जाने के साथ ही शैक्षिक रूप से अर्ह नही हो ना भी सम्मिलित किया गया"	**22**
9	23-10-2020	शासनादेश 44/2020/1939/पन्चानबे-2020-188होगा/06	मृतक/स्थायी रूप से विकलांग होमगार्डस स्वयंसेवकों /अवैतनिक पदाधिकारियों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर भर्ती के शासनादेश दिनांक 27-09-2012 के प्रस्तर-2(2) में संशोधन करते	**23**

			हुए " **01** अंग की हानि (01 हाथ अथवा 01 पैर) से उत्पन्न स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता/ अपंगता को भी सम्मिलित किया गया"	
10	03-11-2020	शासनादेश 45/2020/2118/पन्चानबे-2020-188होगा/06 टी सी	मृतक/स्थायी रूप से विकलांग होमगार्डस स्वयंसेवकों /अवैतनिक पदाधिकारियों को अनुकम्पा के आधार पर केवल होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किया जाना।	**24**
11	12-02-2021	शासनादेश 08/2021/146/पन्चानबे-2021-188होगा/06	मृतक/स्थायी रूप से विकलांग होमगार्डस स्वयंसेवकों /अवैतनिक पदाधिकारियों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर भर्ती हेतु चयन समिति की अनिवार्यता को समाप्त कर संबंधित जनपद के जिला कमाण्डेन्ट द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में चयन की कार्यवाही सम्पन्न किये जाने के प्राविधान किये गये।	**26**
12	24-02-2021	शासनादेश 09/2021/508/पन्चानबे-2021-188होगा/06	शासनादेश 12-02-2021 में मृतक/स्थायी रूप से विकलांग होमगार्डस स्वयंसेवकों /अवैतनिक पदाधिकारियों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर भर्ती के शासनादेश दिनांक 27-09-2012 के प्रस्तर-2(4) में संशोधन के स्थान पर त्रुटिवश प्रस्तर-2(5) में संशोधन अंकित हो गया था। जिसे संशोधित कर प्रस्तर-2(4) अंकित किया गया।	**28**
13	20-07-2021	शासनादेश 27/2021/1133/पन्चानबे-2021-188होगा/06 टीसी	मृतक/स्थायी रूप से विकलांग होमगार्डस स्वयंसेवकों /अवैतनिक पदाधिकारियों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की शारीरिक माप तौल चयन समिति /नियुक्ति प्राधिकारी द्वार ही अपने स्तर से किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। मुख्य चिकत्सिा अधिकारी द्वारा किये जाने वाले स्वास्थ परीक्षण में अभ्यर्थियों की शारीरिक माप तौल नही कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	**29**
14	06-12-2021	शासनादेश 48/2021/2647/पन्चानबे-2021-	मृतक/स्थायी रूप से विकलांग होमगार्डस स्वयंसेवकों /अवैतनिक पदाधिकारियों के पात्र आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर भर्ती के	**31**

		188होगा/06	शासनादेश दिनांक 27-09-2012 के 2(3) में अंकित कुटुम्ब के अंतर्गत अविवाहित पुत्रियों/अविवाहित दत्तक पुत्रियों के स्थान पर पुत्रियों (जिसमें दत्तक पुत्रियां सम्मिलित है) संशोधित किया गया।	
15	16-11-2022	शासनादेश-53/2022/2770/95-2022-188होगा/06	होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवा अवधि में अपंगता की दशा में पात्र आश्रित को होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर नियुक्त किये जाने पर रोक लगाये जाने के संबंध में।	**32**
16	08-12-2022	मुख्यालय का आदेश 10754/का/हो0स्व0-80/2022	मृतक/स्थायी रूप से विकलांग होमगार्डस स्वयंसेवकों /अवैतनिक पदाधिकारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर भर्ती में चयन समिति द्वारा शारीरिक मानक में अनुपयुक्त होने पर असन्तुष्ट होने पर मुख्यालय पर पुनः शारीरिक माप कराये जाने हेतु अधिकारियों की समिति का गठन।	**34**
17	18-08-2023	शासनादेश 42/2023/1591/पन्चानबे-2023	मृतक होमगार्डस स्वयंसेवकों /अवैतनिक पदाधिकारियों को अनुकम्पा के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा प्रार्थित जनपद/कम्पनी/ब्लाक में होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर नियुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।	**35**
18	05-12-2023	शासनादेश 50/2023/2249/पन्चानबे-2023-188होगा/06	मृतक होमगार्डस स्वयंसेवकों /अवैतनिक पदाधिकारियों को अनुकम्पा के आधार पर मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष की समय सीमा के अन्तर्गत पात्र आश्रित को सेवायोजित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी नही होने की स्थिति में शासन स्तर से अनुमति प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता निर्धारित की गयी।	**37**

संख्या-2099/छःनासु-10-438 होगा/07

प्रेषक,

आलोक रंजन,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,

होमगार्ड्स, उ0प्र0,

लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊ दिनांक 06 सितम्बर, 2010

विषयः-होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की भर्ती हेतु चयन बोर्ड व प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 5557/स्था0/एक-333/2001, दिनांक 21 जुलाई 2010 का संदर्भ ग्रहण का कष्ट करें, जिसके द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के भर्ती व सापेक्ष चयन बोर्ड के गठन में संशोधन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव व भर्ती प्रक्रिया का विवरण तथा इस संबंध में निर्गत किये जाने वाले शासनादेश का माडल ड्राफ्ट संलग्न कर उपलब्ध कराते हुए शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/विवरण तथा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की भर्ती से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत शासादेश संख्या-2883/छःनासु-92-181 होगा/84 टी0सी0 दिनांक 23 जुलाई 1992 पर शासन स्तर पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं विचारोपरान्त संशोधन करते हुए निम्नवत् आदेश निर्गत किये जा रहें हैः-

1- **शैक्षिक योग्यताः-**

होमगार्ड्स स्वयंसेवक पद के लिए अभ्यर्थी को हाईस्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

2- **आयुः-**

अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 45 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना , प्रथम छमाही की अवधि में चयन होने पर संबंधित वर्ष की एक जनवरी तथा द्वितीय छमाही की अवधि में भर्ती होने पर एक जुलाई से की जायेगी।

3- **अभ्यर्थियों की शारीरिक माप तौलः-**

अभ्यर्थियों की मापतौल चयन समिति द्वारा की जायेगी। शारीरिक माप तौल में चयन समिति की सहायता हेतु जिले के जिला कमाण्डेण्ट के लिखित अनुरोध पर स्थानीय जिला प्रशिक्षण केन्द्र से वैतनिक निरीक्षक/वैतनिक प्लाटून कमाण्डर एवं हवलदार प्रशिक्षक नामित करेंगें।

<u>पुरूष अभ्यर्थी</u>

मानक	**सामान्य अभ्यर्थी**	**अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी**	**पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी**
ऊॅचाई	167.7 से0मी0	160.0 से0मी0	162.6 से0मी0
सीना बिना फुलाये	78.8 से0मी0	76.5 से0मी0	76.5 से0मी0
सीना फुलाने पर	83.8 से0मी0	81.5 से0मी0	81.5 से0मी0

<u>महिला अभ्यर्थी</u>

मानक	**सामान्य अभ्यर्थी**	**अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी**	**पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी**
ऊॅचाई	152.0 से0मी0	147.0 से0मी0	147.0 से0मी0

4- **चयन समितिः-**

होमगार्ड्स की भर्ती हेतु निम्नलिखित चयन समिति निर्धारित की जाती हैः-

अ-जिला कमाण्डेण्ट	जो भर्ती से संबंधित जनपद में तैनात है।
ब-कमाण्डेण्ट जनरल द्वारा नामित जिला कमाण्डेण्ट	जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, जो भर्ती से संबंधित जनपद के मण्डल के जनपद में तैनात हे।
स-जिलाधिकारी द्वारा नामित	द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी

चयन समिति द्वारा की जाने वाली भर्ती हेतु सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय कमाण्डेण्ट पर्यवेक्षक अधिकारी होंगे तथा यदि भर्ती में किसी प्रकार की कोई अनियमितता होती है तो उसके लिये चयन समिति के साथ ही साथ मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स भी समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त चयन समिति में वरिष्ठतम् जिला कमाण्डेण्ट, चयन समिति का अध्यक्ष होगा तथा सभी तीन सदस्यों के उपस्थित होने पर बैठक की कार्यवाही की जाये। चयन समिति में शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।

5- **शैक्षिक योग्यताः-**

अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल रखी जाय एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर निम्नानुसार अंक दिये जायेः-

हाईस्कूल	05 अंक
इण्टरमीडिएट	05+03 अंक
स्नातक	05+04 अंक
स्नातकोत्तर	05+05 अंक

6- खेलकूलः-

खेलकूद में प्रवीण अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 05 अंक निर्धारित है, जो निम्नानुसार दिये जायेंगेः-

स्कूल/विद्यालय स्तर का खिलाड़ी -01 अंक

जिला/महाविद्यालय स्तर का खिलाड़ी -02 अंक

मण्डल/विश्वविद्यालय स्तर का खिलाड़ी -03 अंक

राज्य स्तर का खिलाड़ी -04 अंक

अखिल भारतीय/राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी -05 अंक

स्कूल/विद्यालय/महाविद्यालय के खिलाड़ी को सम्बन्धित कालेज के प्रधानाचार्य, जिला स्तर के खिलाड़ी हेतु जिला स्पोर्ट अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जिला स्पोर्टस एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव, मण्डल स्तर के खिलाड़ी हेतु क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिवीजनल स्पोर्टस एसोसिएशन, विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय के क्रीड़ाधिकारी, राज्य स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित स्पोर्टस के राज्य स्पोर्टस एसोसिएशन अथवा उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होंगे, अखिल भारतीय स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित खेलों के राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।

7- **एन0सी0सी0-**

एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र धारकों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम 05 अंक निम्नानुसार निर्धारित किये जायेंगेः-

क-एन0सी0सी0/भूतपूर्व सैनिक -05 अंक

ख-एन0सी0सी0/भूतपूर्व सैनिक -03 अंक

ग-एन0सी0सी0/कैडेट प्रमाण पत्र/एन0एस0एस0 प्रमाण पत्र/स्काउट गाइड -05 अंक

8- **तकनीकी डिप्लोमा होल्डर्स तथा ट्रेडसमैन, ड्राइवर आदि को अधिकतम 10 अंको के अन्तर्गत निम्नानुसार अंक दिए जायेंगेः-**

-कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक्स, मोटर-मैकेनिक एवं प्लम्बर आदि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को -10अंक

-उपरोक्त ट्रेड्स में केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्रमाण-पत्र धारकों को- 7 अंक।

-उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विभिन्न ट्रेड्स में अनुभवी/निपुण एवं विभिन्न व्यवसायिक कार्यो-जैसे राजमिस्त्री, टेलर, धोबी, कुक, नाई, मोची, माली, टैलीविजन मैकनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्राथमिक चिकित्सा, फायर फायटिंग, नर्सिग, तैराक, कारपेन्टर आदि में दक्ष/ कुशल अभ्यर्थियों को -05 अंक।

-ऐसे अभ्यर्थियों को अपने ट्रेड/व्यवसाय में दक्ष एवं न्यूनतम दो वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान/नगर निकाय के निर्वाचित जन प्रतिनिधि/विधायक/सांसद/ राजपत्रित अधिकारी से अथवा सम्बन्धित ट्रेड का प्रशिक्षण/कार्यानुभव प्रदान कराने वाली संस्था/वर्कशाप के प्रबन्धक से प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा, जिसका चयन समिति, किसी सन्देह की स्थिति में सत्यापन करायेगी। चयन समिति ऐसे ट्रेडमैन की व्यवसायिक दक्षता का समुचित कार्यात्मक परीक्षण/टेस्ट लेने के बाद ही उन्हें निर्धारित अंक प्रदान करेंगी।

9- शारीरिक दक्षता परीक्षाः-

(1) पुरूष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु 2 कि0मी0 की दौड़ करायी जायेगी। दौड़ गोल परिधि में न करा कर खुली सड़क पर करायी जायेगी तथा चयन समिति के सदस्य उक्त परीक्षा सही सही तथा निष्पक्षता पूर्वक लेना सुनिश्चित करेंगे। दौड़ हेतु अभ्यर्थी को दिए जाने वाले अंक निम्नानुसार होंगेः-

-10 मिनट	05 अंक
-08 मिनट	07 अंक
-06 मिनट	10 अंक

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए 500 मीटर की दौड़ खुली सड़क पर करायी जायेगी, जिसमें निम्नानुसार अंक दिए जायेंगेः-

-2.5 मिनट	10 अंक
-3.5 मिनट	07 अंक
-4.0 मिनट	05 अंक

10- **वाहनों के वैध ड्राइविंग** लाइसेन्स धारकों को 5 अंक निम्नानुसार प्रदान किए जायेगें किन्तु यह आवश्यक होगा कि ड्राईविंग लाइसेन्स भर्ती की विज्ञापन तिथि से एक वर्ष पूर्व का होः-

क-	भारी वाहन चालक	05 अंक
ख-	हल्का वाहन चालक	03 अंक

11- साक्षात्कारः-

साक्षात्कार के अन्तर्गत व्यक्तित्व परीक्षण हेतु 5 अंक निर्धारित होंगे। साक्षात्कार में चयन समिति के सभी सदस्य रहेंगे। सभी सदस्यों द्वारा अभ्यर्थियों को अलग-अलग दिए गये अंकों के औसत के आधार पर साक्षात्कार के अंक अंकित किए जायेंगे। साक्षात्कार के समय शैक्षिक योग्यता तथा विशेष योग्यता की प्रमाणिकता को भी गहराई से जांच लिया जाय। शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा व्यक्तित्व परीक्षण/ साक्षात्कार में दिए गए कुल अंकों के योग के आधार पर चयन हेतु मेरिट सूची बनायी जायेगी ।

12- स्वास्थ्य परीक्षणः-

चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी फार्म उसी दिन अथवा अनिवार्यतः अगले दिन तक भरा लिया जाये और उनका स्वास्थ्य परीक्षण यथाशीघ्र मुख्य चिकित्साधिकारी से कराया जाये। स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थियों की ऊॅचाई, सीने की माप तथा फ्लैट फुट व कलर ब्लाइंन्डनेस जैसी बीमारियों की जांच भी करायी जाये। स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

13- चरित्र सत्यापनः-

अन्तिम रूप से चयनित किए गये एवं चिकित्सकीय परीक्षण से उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का पुलिस प्रमाणीकरण जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स द्वारा कराया जायेगा। पुलिस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में विलम्ब की स्थिति उद्‌भुत होने पर अभ्यर्थियों से नोटरी प्रमाण पत्र/एफीडेविट प्राप्त करके इस प्रतिबन्ध के अधीन नियुक्ति पत्र निर्गत किए जा सकेंगे कि यदि पुलिस प्रमाणीकरण/चरित्र सत्यापन प्रतिकूल पाया जाता है, तो उन्हें होमगार्ड्स विभाग से पृथक कर दिया जायेगा और उनके प्रशिक्षण/ड्यूटी पर हुए शासकीय व्यय की एकमुश्त वसूली कर ली जायेगी।

उक्त शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा तथा उक्त शासनादेश के क्रम में अन्य वांछित कार्यकारी आदेश महासमादेष्टा, होमगार्ड्स के स्तर से निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2099(1)/छःनासु-10-तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
3- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
4- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

आज्ञा से

(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या-1549/छः नासु-11-32 होगा/11

प्रेषक,

कुमार कमलेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग   लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर, 2011

विषयः- होमगार्ड्स विभाग में अवैतनिक अधिकारियों के भर्ती चयन बोर्ड व प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 3057/स्था0/एक-333/2001(पार्ट) दिनांक 10 जून, 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा होमगार्ड्स संगठन के अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु चयन बोर्ड व चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रस्ताव व माडल ड्राफ्ट उपलब्ध कराते हुए प्रकरण में शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/विवरण तथा अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की भर्ती से सम्बन्धित मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/आदेशों पर विचारोपरान्त निम्नवत् आदेश निर्गत किये जा रहें हैः-

1- **रिक्तियों की अवधारणाः-**

जनपद इकाई में विद्यमान रिक्तियों की अवधारणा वर्ष में दो बार की जायेगी। प्रथम अवधारणा 31 मार्च को विद्यमान रिक्तियों एवं द्वितीय अवधारणा 30 सितम्बर को विद्यमान रिक्तियों की होगी। जिला कमाण्डेन्ट रिक्तियों की सूचना होमगार्ड्स मुख्यालय तथा शासन को भेजेगें। रिक्तियों की अवधारणा/आगणन करते समय अनूसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति की रिक्तियों तथा नगर संगठन में पुरूष/महिला होमगार्ड्स एवं ग्रामीण संगठन में पुरूष होमगार्ड्स की रिक्तियां पृथक पृथक अवधारित की जायेंगी।

रिक्तियों की अवधारणा के पश्चात् वर्गवार रिक्तियों की संख्या का उल्लेख करते हुंए अपेक्षित अर्हताओं सहित उनका प्रसारण जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क कराया जाये तथा भर्ती की तिथि की सूचना का व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया जाये। इसके लिए स्थानीय समाचार पत्रों के अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी, सेवायोजन कार्यालय, परगना अधिकारी, जिलाधिकारी, विभिन्न शिक्षा संस्थानों, समस्त विकास खण्ड कार्यालयों, पुलिस थानों, कम्पनी इकाई व तहसीलो में सूचना दी जाये तथा सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पटों पर लिखित रूप से सूचना चस्पा कर दी जाये एवं प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पहले चयन समिति के सभी सदस्यों को वर्गवार रिक्तियों, अर्हताओं एवं भर्ती के सम्बन्ध में शासन/होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेशों से अवगत कराया जाये।

2- **आरक्षणः-**

उक्त हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप सम्बन्धित वर्गो को आरक्षण अनुमन्य होगा।

3- **शैक्षिक योग्यताः-**

- कंपनी कमाण्डर	-इण्टरमीडिएट
- सहायक कंपनी कमाण्डर	-इण्टरमीडिएट
- प्लाटून कमाण्डर	-हाईस्कूल

- पूर्व से कार्यरत स्वयंसेवक व प्लाटून कमाण्डर हेतु कंपनी कमाण्डर व सहायक कंपनी कमाण्डर पद के लिए शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल।

4- **<u>आयु सीमाः</u>-**

अभ्यर्थी की आयु कम से कम 20 वर्ष एवं अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना, प्रथम छमाही की अवधि में चयन होने पर सम्बन्धित वर्ष की एक जनवरी तथा द्वितीय छमाही की अवधि में भर्ती होने पर

एक जुलाई से की जायेगी। शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य आयु सीमा में छूट सम्बन्धित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगीं।

5- **शारीरिक मापदण्डः-**

पुरूष अभ्यर्थी	**सामान्य अभ्यर्थी/अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी**	**पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी**
ऊॅचाई	167.7 से0मी0	160.0 से0मी0	162.6 से0मी0
सीना बिना फुलाये	78.8 से0मी0	76.5 से0मी0	76.5 से0मी0
सीना फुलाने पर	83.8 से0मी0	81.5 से0मी0	81.5 से0मी0
महिला अभ्यर्थी	152.0 से0मी0	147.0 से0मी0	147.0 से0मी0

6-चयन समितिः-

1-डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल आगरा/इलाहाबाद/सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स अध्यक्ष
2-सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी सदस्य
3-सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक राजपत्रित पुलिसअधिकारी सदस्य
4-सम्बन्धित जनपद के जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स सदस्य/सचिव
5-जिन जनपदों में नगर कमाण्डेण्ट के पद सृजित हैं , वहां पर नगरीय कंपनियों में अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती के समय नगर कमाण्डेण्ट अतिरिक्त सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

नोटः-

चयन समिति में ऐसे डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेण्ट/जिला कमाण्डेण्ट/नगर कमाण्डेण्ट को नही रखा जायेगा, जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अभियोजन अथवा सतर्कता/भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच प्रचलित होगी। ऐसे अधिकारियों के स्थान पर कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स अन्य समकक्ष/संवर्गीय अधिकारी को चयन समिति में नामित करने हेतु अधिकृत होंगे। चयन समिति में शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य अनिवार्य रूप से होना आवश्यक होगा। चयन समिति की बैठक के लिए अध्यक्ष सहित कम से कम तीन की संख्या में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7- शैक्षिक योग्यता के निर्धारित अंकः-

अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के 5 अंक दिए जायेंगे। प्रत्येक अनुवर्ती उच्च शैक्षिक योग्यता के लिए एक अतिरिक्त अंक दिया जायेगा। परन्तु अधिकतम 5 अंक ही दिए जा सकेंगे। इस प्रकार शैक्षिक योग्यता के अधिकतम 10 अंक देय होंगे।

8- खेलकूदः-

खेलकूद में प्रवीण अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 05 अंक निर्धारित है, जो निम्नानुसारदिए जायेंगेः-

स्कूल/विद्यालय स्तर -01 अंक
जिला/महाविद्यालय स्तर -02 अंक
मण्डल/विश्वविद्यालय स्तर -03 अंक
राज्य स्तर -04 अंक
अखिल भारतीय/राष्ट्रीय स्तर -05 अंक

स्कूल/विद्यालय/महाविद्यालय के खिलाड़ी को सम्बन्धित कालेज के प्रधानाचार्य, जिला स्तर के खिलाड़ी हेतु जिला स्पोर्ट अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जिला स्पोर्टस एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव, मण्डल स्तर के खिलाड़ी हेतु क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिवीजनल स्पोर्टस एसोसिएशन, विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय के क्रीड़ाधिकारी, राज्य स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित स्पोर्टस के राज्य स्पोर्टस एसोसिएशन अथ्वा उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होंगे, अखिल भारतीय स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित खेलों के राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।

9- **विभागीय अभ्यर्थियों तथा सेना के भूतपूर्व सदस्यों के लिए अंकों का निर्धारणः-**

1- होमगार्ड्स स्वयंसेवक को अभ्यर्थी होने की स्थिति में उसे अधिकतम 5 अंक दिए जा सकेंगे।
2- सेना के भूतपूर्व सदस्यों को भी अधिकतम 5 अंक दिए जायेंगे।

10- **एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र धारकों हेतु निर्धारित अंकः-**

C-प्रमाण पत्र धारक	05 अंक
B-प्रमाण पत्र धारक	03 अंक
A-प्रमाण पत्र धारक/कैडेट प्रमाण पत्र/एन.एस.एस.प्रमाण पत्र /स्काउड गाइड	02 अंक

11- **डिप्लोमा धारकों हेतु अंकः-**

भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार से विधिवत मान्यता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं से तकनीकी विषयों में डिप्लोमा धारकों को 5 अंक देय होंगे।

12- **शारीरिक दक्षता परीक्षाः-**

1- पुरूष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु 1500 मीटर की दौड़ करायी जायेगी। दौड़ हेतु अभ्यर्थी को दिए जाने वाले अंक निम्नानुसार होंगेः-

-10 मिनट	05 अंक
-08 मिनट	07 अंक
-06 मिनट	10 अंक

2- महिला अभ्यर्थियों के लिए 400 मीटर की दौड़ करायी जायेगी, जिसमें निम्नानुसार अंक दिए जायेंगेः-

-2.5 मिनट	10 अंक
-3.5 मिनट	07 अंक
-4.0 मिनट	05 अंक

शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम न्यूनतम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण माना जायेगा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम न्यूनतम अंक न पाने वाले अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण माना जायेगा तथा उसे चयन की अगली प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जा सकेगा।

13- **साक्षात्कारः-**

साक्षात्कार के 10 अंक होंगे।

14- **प्रतीक्षा सूचीः-**

कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनायी जायेगी।

15- **अन्तिम चयन प्रक्रियाः-**

- अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची चयन बोर्ड द्वारा वर्गवार आरक्षण प्राविधानों के अन्तर्गत तैयार की जायेगी और रिक्तियों के अनुसार तैयार की जायेगी। वर्गवार ज्येष्ठता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- वर्गवार चयनित सूची का प्रकाशन उसी दिन किया जाये और उसकी एक एक प्रति होमगार्ड्स कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय एवं रोजगार कार्यालय के सूचना पटों पर अवश्य चस्पा की जाये।
- तैयार की गयी सूची में चयन समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
- चयन सूची की एक प्रति होमगार्ड्स मुख्यालय, एक मण्डलीय कमाण्डेण्ट को तथा एक प्रति कमाडेण्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र को अवश्य उपलब्ध करायी जाये। होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा चयन सूची को विभाग के वेबसाइट पर डाला जायेगा।

नोटः-

अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा तथा मेरिट शारीरिक दक्षता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंकों, होमगार्ड/सेना के भूतपूर्व सैनिकों, खेलकूद, एन.सी.सी. आदि में प्राप्त अंकों तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर बनायी जायेगी। प्रबन्धन की योग्यता रखने वाले डिग्री/डिप्लोमा धारकों को वरीयता दी जायेगी।

उपरोक्त प्रक्रिया से चयन मात्र तीन वर्ष की अवधि के लिए ही किया जायेगा। तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर स्क्रीनिंग बोर्ड की अनुशंसा पर अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनः अभ्यर्थी की इस हेतु लिखित स्वीकृति, उसकी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति, उसके द्वारा पिछले तीन वर्षो में की गयी अवैतनिक सेवाओं, उसके चरित्र पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय मन्तव्य, उसकी व्यक्तिगत पत्रावली के परीक्षण तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रस्तुत उसके स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग के समय व्यक्तिगत रूप से स्क्रीनिंग बोर्ड के समक्ष उपस्थिति होना अनिवार्य होगा। स्क्रीनिंग बोर्ड चयन बोर्ड के समान ही नामित अधिकारियों का तथा उसी अनुरूप होगा।

16- **स्वास्थ्य परीक्षणः-**

चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी फार्म उसी दिन अथवा अनिवार्यतः अगले दिन तक भरा लिया जाये और उनका स्वास्थ्य परीक्षण यथाशीघ्र मुख्य चिकित्साधिकारी से कराया जाये। स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थियों की ऊँचाई, सीने की माप तथा फ्लैट फुट व कलर ब्लाइन्डनेस जैसी बीमारियों की जांच भी करायी जाये। स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी ।

17- **निवास प्रमाण-पत्रः-**

यह अनिवार्य है कि ग्रामीण क्षेत्र का अभ्यर्थी उसी विकास खण्ड का सामान्य निवासी हो, जिस विकास खण्ड की कंपनी में उसे भर्ती किया जाता है।

शहरी क्षेत्र का अभ्यर्थी या तो उसी नगर क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए, जिस नगर क्षेत्र की कंपनी में उसे भर्ती किया जाना है अथवा अस्थायी रूप से उस नगर क्षेत्र में आकर बस गया हो।

निवास प्रमाण-पत्र हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत निवास प्रमाण-पत्र मान्य होंगे किन्तु ग्रामीण क्षेत्र की कंपनी में भर्ती होने वाले अभ्यर्थी को इस आशय का अतिरिक्त प्रमाण-पत्र सम्बन्धित ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी से देना होगा कि वह उसी विकास खण्ड का सामान्य निवासी है अथवा उसके निवास की ग्रामसभा उस विकास खण्ड के अन्तर्गत है।

उक्त शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा तथा उक्त शासनादेश के क्रम में अन्य वांछित कार्यकारी आदेश महासमादेष्टा, होमगार्ड्स के स्तर से निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1549(1)/छः नासु-11 -तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

3- समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

5- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

आज्ञा से

(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांकः 4645/स्था/एक-333/2001(पार्ट) दिनांकः सितम्बर 12, 2011

उपरोक्त की प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

3- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स,परिक्षेत्र आगरा एवं इलाहाबाद/के0प्र0सं0 लखनऊ

4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

7- प्रशासकीय अधिकारी, स्थापना/लेखा।

8- कार्यालय अधीक्षक, स्थापना/लेखा।

9- गार्ड फाइल हेतु।

(एस0एस0प्रसाद)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी

संख्या-2013/छ:नासु-12-188 होगा/06

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊ दिनांक 27 सितम्बर, 2012

विषयः- होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 1228/स्था0/एक-192/2006, दिनांक 09 मार्च, 2011 एवं पत्र संख्याः 5309/स्था0/एक-192/2006, दिनांक 14 अक्टुबर, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की सेवाकाल में मृत्यु अथवा स्थायी रूप से अपंग होने पर उसके एक पात्र आश्रित को होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी के पद पर सेवायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उसके पात्र आश्रित को सेवायोजन से सम्बन्धित शर्ते निम्नवत् होंगीः-

1- मृत होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी का तात्पर्य ऐसे होमगार्ड्स /होमगार्ड्स पदाधिकारी से है, जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाये।

2- स्थायी रूप से अपंग होने का तात्पर्य यह है कि दो अंगों अथवा दोनों आँखों अथवा एक अंग और एक आँख की हानि अथवा पक्षाघात, जिससे होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी अपनी सेवा देने में सक्षम न रह जाये।

3- "कुटुम्ब" के निम्नलिखित व्यक्ति मृतक आश्रित के अन्तर्गत सेवायोजित किये जाने हेतु पात्र होंगेः-

(क) पत्नी या पति

(ख) पुत्र/दत्तक पुत्र

(ग) अविवाहित पुत्रियां, अविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधुए

(घ) मृत होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

परन्तु यदि मृत/स्थायी रूप से अपंग होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से संबंधित कोई व्यक्ति उपलब्ध नही है या वह शारीरिक व मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाये और इस प्रकार होमगार्ड्स स्वयंसेवक /अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो। केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत अथवा स्थायी रूप से अपंग होमगार्ड्स स्वयंसेवक /अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी पर आश्रित पौत्र अविवाहित पौत्रियां भी सम्मिलित होंगी।

4- होमगार्ड्स एवं अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की सेवा अवधि में मृत्यु/ स्थायी रूप से अपंग होने पर उसके पात्र आश्रित के चयन में वही प्रक्रिया/मापदण्ड अपनाये जायेंगे, जो सामान्य तौर पर होमगार्ड्स/अवैतनिक पदाधिकारी की भर्ती के समय अपनाये जाते है अर्थात होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की भर्ती हेतु निर्गत शासनादेश संख्याः 2099/छ:नासु-10-438 होगा /07, दिनांक 06 सितम्बर, 2010 एवं अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की भर्ती हेतु निर्गत शासनादेश संख्याः-1549/छ:नासु-11-32 होगा/11, दिनांकः 01 सितम्बर, 2011 में निर्धारित की गयी प्रक्रिया/मानदण्डों के अनुसार पात्र आश्रित की भर्ती की जायेगी। यदि होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की भर्ती से सम्बन्धित नियमों/शासनादेशों में भविष्य में कोई परिवर्तन होता है, तो तदनुसार परिवर्तन/संशोधन भी पात्र आश्रित की भर्ती में लागू होंगे। भर्ती से सम्बन्धित समस्त मानदण्ड/अर्हतायें व प्रक्रिया पात्र आश्रित की भर्ती में लागू होंगे। मात्र यह छूट दी

जायेगी कि अनुकम्पा के आधार पर होमगार्ड्स/अवैतनिक पदाधिकारी के पद पर चयन/सेवायोजन के लिए अलग से विज्ञापन निकाले जाने की आवश्यकता नही होगी। उक्त सेवायोजन के फलस्वरूप होमगार्ड्स की कुल स्वीकृत संख्या में वृद्धि नही होगी और स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही पात्र आश्रित को सेवायोजित किया जायेगा।

5- मृतक आश्रित के तौर पर भर्ती होने के लिए वह आवश्यक है कि सम्बन्धित होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने की तिथि से पांच वर्ष के भीतर आवेदन कर दिया गया हो। अपरिहार्य परिस्थितियों में आवेदन करने की पांच वर्ष की अधिकतम समय सीमा में शिथिलीकरण शासन की अनुमति से किया जा सकता है।

उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

भवदीय

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2013(1)/छःनासु-12-तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

3- समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट/जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

5- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को होमगार्ड्स विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या-3089/95-15-08 प्रकीर्ण/12

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड् अनुभाग लखनऊ दिनांक 12 जनवरी, 2016

विषयः-होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की रिक्त पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 1711/छःनासु-14-46 प्रकीर्ण/14 दिनांक 30-07-2014 के क्रम में अपने पत्र संख्याः 5004/हो0स्व0-680/2014 दिनांक 09-09-2014, पत्र संख्याः 5241/हो0स्व0-680/2014 दिनांक 23-09-2014, पत्र संख्याः 5240/हो0स्व0-680/2014 दिनांक 01-10-2014 तथा शासन के पत्र संख्याः 530/छःनासु-15-438 होगा /07, दिनांक 23-04-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09-09-2014, 23-09-2014 तथा 01-10-2014 में प्रस्तावित संशोधनों को दृष्टिगत रखते हुए होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया से सम्बन्धित क्रमशः शासनादेश दिनांक 06-09-2010 तथा दिनांक 01-09-2011 में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

क्रमांक	**शासनादेश का दिनांक व प्रस्तर संख्या**	**संशोधन प्रस्तर**
1	दिनांकः 06-09-2010 व दिनांक 01-09-2011	निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया हेतु होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की शारीरिक दक्षता की दौड़ की परीक्षा में आर0एफ0आई0डी0 चिप के आधार पर दौड़ और उसकी वीडियोग्राफी करायी जायेगी। **(नया प्रस्तर)**
2	दिनांकः 06-09-2010 व दिनांक 01-09-2011	भर्ती से संबंधित समस्त आवदेन पत्र आनलाईन प्राप्त किये जायेगें। सीधे अथवा पंजीकृत डाक आदि से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। **(नया प्रस्तर)**
3	दिनांकः 06-09-2010 का प्रस्तर-11 व शासनादेश दिनांक 01-09-2011 का प्रस्तर-13	चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त की जाती है।
4	दिनांकः 06-09-2010 का प्रस्तर-3 व शासनादेश दिनांक 01-09-2011 का प्रस्तर-5	पुरूष/महिला होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु माप-तौल चयन समिति द्वारा न कराकर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की माप-तौल संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा करायी जाये। पुरूष अभ्यर्थियों हेतु सीना फुलाने की नाप में त्रुटि की संभावना रहती है। चयनित अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच करायी जाये ताकि सीने से संबंधित बीमारियों का पता लगाया जा सकें। अतः सीना फुलाने पर की जाने वाली माप को हटाया जाता है। अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेगी।
	दिनांकः 06-09-2010 का प्रस्तर-4 व शासनादेश दिनांक 01-09-2011 का	चयन समिति में ऐसे जिला कमाण्डेण्ट/मण्डलीय कमाण्डेण्ट को न रखा जाये, जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अन्य कोई जांच प्रचलित हो। ऐसे अधिकारियों के स्थान पर महासमादेष्टा होमगार्ड्स द्वारा अन्य

	प्रस्तर-6	समकक्ष/संवर्गीय अधिकारी को चयन समिति में नामित करने हेतु अधिकृत किया जाता है। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

3- अत: अनुरोध है कि कृपया शासनादेश दिनांक: 06-09-2010 एवं शासनादेश दिनांक: 01-09-2011 के उपर्युक्त संशोधनों एवं शासनादेश दिनांक: 23-04-2015 में उल्लिखित संशोधनों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया दो माह में पूर्ण कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को समय-समय पर हुई कार्यवाही की अद्यावधिक स्थिति से भी अवगत कराने का कष्ट करें।

4- शासनादेश दिनांक: 06-09-2010 तथा शासनादेश दिनांक: 01-09-2011 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय।

भवदीय

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या-3089(1)/95-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
3- समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्डस, उ०प्र०।
4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट/जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्डस, उ०प्र०।
5- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्डस, उ०प्र०।

आज्ञा से

(सुनील कुमार)
उप सचिव

संख्या-60/2019/1792/पन्चानबे-19-188 होगा/06

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग   लखनऊ दिनांक : 26 सितम्बर, 2019

विषय: मृतक/स्थायी रूप से अपंग होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के आश्रितों की भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में असफल होने पर पुनः अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11369/कार्मिक/प्रस्ताव-39/2017 दिनांक16 सितम्बर 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक एवं अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारी के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2013/छ:नासु-12-188 होगा/06 दिनांक 27 सितम्बर 2012 निर्गत किया गया है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवाकाल में मृतक होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के परिवारों के प्रति असामायिक कठिनाई से राहत के दृष्टिकोण से आश्रितों को दौड़ में असफल होने पर पुनः दौड़ का अवसर दिया जाए तथा यदि किसी एक आश्रित के दौड़ में असफल होने के उपरान्त यदि किसी अन्य अर्ह आश्रित के द्वारा आवेदन किया जाता है तो उसकी दौड़ परीक्षा कराने और उसके सफल होने पर उसे होमगार्डस स्वयंसेवक के रूप में नियोजित कर लिया जाय।

कृपया उक्त के अनुसार कार्यवाही करने करने का कष्ट करें।

भवदीय
अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

..........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है
http://shasanadesh.up.nic.in

..........2........

<u>संख्या-60/2019/1792(1)/पन्चानबे-19 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0
3. समस्त उप महासमादेष्टा/समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट/समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0
4. गार्डबुक।

आज्ञा से,
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या-61/2019/1815/पन्चानबे-19-8 प्रकीर्ण/12

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक : 27 सितम्बर, 2019

विषय: मृतक/स्थायी रूप से अपंग होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के आश्रितों की भर्ती हेतु गठित चयन बोर्ड के अधिकारियों के विरूद्ध संस्थित जांचों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11368/कार्मिक/प्रस्ताव-39/2017 दिनांक 16 सितम्बर 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा होमगार्डस स्वयंसेवकों की भर्ती सम्बन्धी शासनादेश संख्या-3089/95-15-08 प्रकीर्ण/12 दिनांक 12 जनवरी 2016 के प्रस्तर-2(5) को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-3089/95-15-08 प्रकीर्ण/12 दिनांक 12 जनवरी 2016 के प्रस्तर-2(5) को निम्नवत संशोधित कर दिया जाय :-

शासनादेश संख्या-3089/95-15-08 प्रकीर्ण/12 दिनांक 12 जनवरी 2016 के प्रस्तर-2(5) में विद्यमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
चयन समिति में ऐसे जिला कमाण्डेण्ट/मण्डलीय कमाण्डेण्ट को न रखा जाय, जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अन्य कोई जॉच प्रचलित हो। ऐसे अधिकारियों के स्थान पर महासमादेष्टा होमगार्डस द्वारा अन्य समकक्ष/संवर्गीय अधिकारी को चयन समिति में नामित करने हेतु अधिकृत किया जाता है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।	चयन समिति में ऐसे जिला कमाण्डेण्ट/मण्डलीय कमाण्डेण्ट को न रखा जाय, जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित हो अथवा अभियोजन स्वीकृत हो। ऐसे अधिकारियों के स्थान पर महासमादेष्टा होमगार्डस द्वारा अन्य समकक्ष/संवर्गीय अधिकारी को चयन समिति में नामित करने हेतु अधिकृत किया जाता है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

............2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है
http://shasanadesh.up.nic.in

..........2........

3. शासनादेश संख्या-3089/95-15-08 प्रकीर्ण/12 दिनांक 12 जनवरी 2016 के प्रस्तर-2(5) को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। कृपया उक्त के अनुसार कार्यवाही करने करने का कष्ट करें।

भवदीय

अनिल कुमार

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-61/2019/1815(1)/पन्चानबे-19 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0
3. समस्त उप महासमादेष्टा/समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट/समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
4. गार्डबुक।

आज्ञा से,

निर्मला श्रीवास्तव

संयुक्त सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

संख्या-62/2019/1880/पन्चानबे-19-188 होगा/06

प्रेषक,

निर्मला श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक : 04 नवम्बर, 2019

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को होमगार्डस स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारी के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11899/कार्मिक/प्रस्ताव-39/2017 दिनांक 26 सितम्बर 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मृतक/अस्थायी रूप से अपंग होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों के पात्र आश्रित के चयन/सेवायोजन के समय अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या-39/2020/1364/पन्चानबे--2020-188 होगा/06

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग — लखनऊ, दिनांक : 10 सितम्बर, 2020

विषय : होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारियों की मृत्यु स्थायी रूप/से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक एवं अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारी के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2013/छ:नासु-12-188 होगा/06 दिनांक 27 सितम्बर 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर, 2012 के प्रस्तर-2(3) के परन्तुक में 'शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाये जाने में' शैक्षिक रूप से अर्ह न होना भी सम्मिलित है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-39/2020/1364(1)/पन्चानबे-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उ0प्र0।
3. समस्त उप महासमादेष्टा/समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट/समस्त जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
4. गार्डबुक।

आज्ञा से,
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-44/2020/1939/पन्चानबे--2020-188 होगा/06

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग — लखनऊ, दिनांक : 23 अक्टूबर, 2020

विषय : होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक एवं अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारी के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2013/छः:नासु-12-188 होगा/06 दिनांक 27 सितम्बर 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर, 2012 के प्रस्तर-2(2) में 01 अंग की हानि (01 हाथ अथवा 01 पैर) से उत्पन्न स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता/अपंगता भी सम्मिलित है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-44/2020/1939(1)/पन्चानबे-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उ0प्र0।
3. समस्त उप महासमादेष्टा/समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट/समस्त जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
4. गार्डबुक।

आज्ञा से,
नरेन्द्र सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-45/2020/2181/पन्चानबे--2020-188 होगा/06 टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ, दिनांक : 03 नवम्बर, 2020

विषय :होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7288/कामिर्क/प्रस्ताव-39/2017, दिनांक 11 सितम्बर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग में अवैतनिक होमगार्ड्स स्वयंसेवक पदाधिकारियों के पदों की संख्या अत्यन्त सीमित है। इन पदों पर अनुभवी, अनुशासित एवं योग्य होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की नियत सेवा अवधि के उपरान्त वरीयता प्रदान करते हुए चयनित किये जाने तथा आवश्यकतानुसार नये योग्य प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती से अवैतनिक होमगार्ड्स स्वयंसेवक पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के द्वारा मेरिट के आधार पर सेवा योजन के अवसर बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

3. अत: शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मृतक/स्थायी रूप से अपंग होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों के आश्रितों को केवल होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर ही भर्ती किया जाए।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

भवदीय
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

..........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

.......2.......

संख्या-45/2020/2181(1)/पन्चानबे-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उ0प्र0।
3. समस्त उप महासमादेष्टा/समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट/समस्त जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
4. गार्डबुक।

आज्ञा से,
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-08/2021/146/पन्चानबे--2021-188 होगा/06

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. महासमादेष्टा, होमगार्डस, उ0प्र0, लखनऊ।
2. डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्डस मुख्यालय लखनऊ, के0प्र0सं0, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा एवं झांसी।
3. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्डस ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2, उ0प्र0।
4. समस्त जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0

होमगार्डस अनुभाग   लखनऊ, दिनांक : 12 फरवरी, 2021

विषय :होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2013/छ:नासु-12-188 होगा/06 दिनांक 27 सितम्बर, 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-2(5) में यह व्यवस्था है कि होमगार्डस एवं अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारी की सेवावधि में मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उसके पात्र आश्रित के चयन में वही प्रक्रिया/मानदण्ड अपनाये जायेंगे जो सामान्य तौर पर होमगार्डस/अवैतनिक पदाधिकारी की भर्ती के समय अपनाये जाते है। होमगार्डस स्वयंसेवकों की भर्ती हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-2099/छ:नासु-10-438 होगा/07 दिनांक 06 सितम्बर, 2010 के प्रस्तर-4 में होमगार्डस की भर्ती हेतु चयन समिति निर्धारित की गयी है।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त चयन समिति के गठन में समय लगता है, जिसके कारण मृतक आश्रित की भर्ती में काफी समय लगता है। होमगार्डस स्वयंसेवकों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने की दशा में उनके पात्र आश्रित को अनुकम्पा एवं योग्यता के आधार पर होमगार्डस के पद पर यथाशीघ्र सेवायोजित किया जाना उसके भरण पोषण के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है। साथ ही, मृतक आश्रित की भर्ती में विभिन्न प्रतिभागियों में से रिक्तियों के अनुरूप प्रतिस्पर्धा के आधार पर चयन निहित नहीं है, अपितु अभ्यर्थी विशेष के अर्ह होने की दशा में अनिवार्य चयन निहित है।

...........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

.......2.......

3. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर मृतक/स्थायी रूप से अपंग होमगार्डस स्वयंसेवक के आश्रित के चयन हेतु शासनादेश संख्या-2099/छः:नासु-10-438 होगा/07, दिनांक 06.09.2010 का प्रस्तर-4 में वर्णित चयन समिति के स्थान पर होमगार्डस स्वयंसेवक के आश्रित के चयन की कार्यवाही सम्बन्धित जनपद के जिला कमाण्डेन्ट द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में सम्पन्न की जाएगी। यह कार्यवाही संबंधित जिला कमाण्डेण्ट द्वारा मृतक आश्रित द्वारा भर्ती हेतु आवेदन के यथासम्भव 30 दिन के अन्दर पूर्ण कर ली जाए।

4. शासनादेश संख्या-2013/छः:नासु-12-188 होगा/06 दिनांक 27.09.2012 का प्रस्तर-2(5) इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-08/2021/146(1)/पन्चानबे-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उ0प्र0।
3. गार्डबुक।

आज्ञा से,
अशोक कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-09/2021/508/पन्चानबे--2021-188 होगा/06

प्रेषक,

निर्मला श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

2. डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल,
होमगार्डस मुख्यालय लखनऊ, के0प्र0सं0,
लखनऊ, प्रयागराज, आगरा एवं झांसी।

3. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट
होमगार्डस ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2, उ0प्र0।

4. समस्त जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस,
उ0प्र0

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ, दिनांक : 24 फरवरी, 2021

विषय : होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-08/2021/146/पन्चानबे-2021-188 होगा/06, दिनांक 12 फरवरी, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2021 के प्रस्तर-1 तथा प्रस्तर-4 के द्वितीय पंक्ति में त्रुटिवश **"प्रस्तर-2(4)"** के स्थान पर **"प्रस्तर-2(5)"** अंकित हो गया है। अत: उक्त शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2021 के प्रस्तर-1 तथा प्रस्तर-4 की द्वितीय पंक्ति में **"प्रस्तर-2(5)"** के स्थान पर **"प्रस्तर-2(4)"** पढ़ा जाय।

3. शासनादेश संख्या-08/2021/146/पन्चानबे-2021-188 होगा/06, दिनांक 12 फरवरी, 2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय
निर्मला श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-09/2021/508(1)/पन्चानबे-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उ0प्र0।
3. गार्डबुक।

आज्ञा से,
अशोक कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-27/2021/1133/पन्चानबे-2021-188 होगा/06 टीसी

प्रेषक

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महासामदेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग   लखनऊ: दिनांक : 20 जुलाई, 2021

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि शासनादेश संख्या-2013/छः:नासु-12-188 होगा/06 दिनांक 27 सितम्बर, 2012 के प्रस्तर-2(4) में यह व्यवस्था है कि होमगार्डस एवं अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारी की सेवावधि में मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उसके पात्र आश्रित के चयन में वही प्रक्रिया/मानदण्ड अपनाये जायेंगे जो सामान्य तौर पर होमगार्डस/अवैतनिक पदाधिकारी की भर्ती के समय अपनाये जाते हैं। होमगार्डस स्वयंसेवकों की भर्ती शासनादेश संख्या-2099/छः:नासु-10-438 होगा/07 दिनांक 06 सितम्बर, 2010 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होती है।

2. शासनादेश दिनांक 06 सितम्बर, 2010 के प्रस्तर-2(3) में अभ्यर्थियों की शारीरिक माप तौल के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि "अभ्यर्थियों की माप तौल चयन समिति द्वारा की जायेगी। शारीरिक माप तौल में चयन समिति की सहायता हेतु जिले के जिला कमाण्डेण्ट के लिखित अनुरोध पर स्थानीय जिला प्रशिक्षण केन्द्र से वैतनिक निरीक्षक/वैतनिक प्लाटून कमाण्डर एवं हवलदार प्रशिक्षक नामित करेंगे।"

3. उक्त शासनादेश के ही प्रस्तर-2(12) में स्वास्थ्य परीक्षण के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि "चयनित अभ्यर्थियों से स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी फार्म उसी दिन अथवा अनिवार्यत: अगले दिन तक भरा लिया जाये और उनका स्वाथ्य परीक्षण यथाशीघ्र मुख्य चिकित्साधिकारी से कराया जाये। स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थियो की ऊँचाई, सीने की माप तथा फ्लैट फुट एवं कलर ब्लाइन्डनेस जैसी बीमारियों की जॉच भी करायी जाये।"

4. इस प्रकार उपरोक्त शासनादेश के अनुसार मृतक होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के आश्रित को होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किये जाने हेतु चयन समिति द्वारा भी अभ्यर्थी की माप-तौल की जाती है एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर पर भी स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ शारीरिक माप-तौल भी किया जाता है। कतिपय प्रकरणों में चिकित्सा बोर्ड के माप तथा चयन समिति की माप में भिन्न्ता पायी जाती है, जिस कारण से प्रकरण में माप-तौल की सत्यता के सम्बन्ध में सम्यक निर्णय लेने में कठिनाई होती है, जिस कारण मृतक होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के आश्रित को होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किये जाने में अतिशय विलम्ब होता है।

..........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

........2........

5. उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र संख्या-5053/हो0स्व0-01/2020 दिनांक 25 जून, 2021 के क्रम में मृतक होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के आश्रित को होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किये जाने हेतु उसकी शारीरिक माप-तौल, ऊँचाई तथा सीने की माप आदि उपरोक्त शासनादेश संख्या-2099/छ:नासु-10-438 होगा/07 दिनांक 06 सितम्बर, 2010 के प्रस्तर-2(3) के अनुरूप चयन समिति/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही अपने स्तर से की जाएगी तथा प्रस्तर-2(12) में माप-तौल मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किये जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षण में नहीं की जाएगी। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किये जा रहे स्वास्थ्य परीक्षण में शेष जॉच पूर्ववत् की जाती रहेगी।

कृपया उक्त के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-27/2021/1133(1)/पन्चानबे-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त उप महासमादेष्टा होमगार्डस, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्डस ग्रेड-2 उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्डस ग्रेड-1 उ0प्र0।
4. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
5. गार्डबुक।

आज्ञा से,
अशोक कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-48/2021/2647/पन्चानबे-2021-188 होगा/06

प्रेषक

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महासामदेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग   लखनऊ: दिनांक : 06 दिसम्बर, 2021

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक/अवैतनिक पदाधिकारी के पद पर सेवायोजित किये जाने विषयक यथासंशोधित शासनादेश संख्या-2013/छ:नासु-12-188 होगा/06 दिनांक 27 सितम्बर, 2012 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृतक/अपंग होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारियों के आश्रितों को होमगार्डस के पद पर सेवायोजित किये जाने सम्बन्धी यथासंशोधित शासनादेश दिनांक 27.09.2012 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-3(ग) **"अविवाहित पुत्रियॉ/अविवाहित दत्तक पुत्रियॉ और विधवा वधुऐं,"** के स्थान पर **"पुत्रियों (जिनमें दत्तक पुत्रियॉ सम्मिलित हैं) और विधवा पुत्र वधुऐं,"** प्रतिस्थापित किया जाता है। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-48/2021/2647(1)/पन्चानबे-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त उप महासमादेष्टा होमगार्डस, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्डस ग्रेड-2 उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्डस ग्रेड-1 उ0प्र0।
4. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
5. गार्डबुक।

आज्ञा से,
अशोक कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-53/2022/2770/पन्चानबे-2022-188 होगा/06

प्रेषक,

आशुतोष चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ, दिनांक : 16 नवम्बर, 2022

विषय :होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारियों की स्थायी रूप से अपंगता की स्थिति में अनुग्रह राशि तथा उनके आश्रित को होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-2013/छ:नासु-12-188 होगा/06 दिनांक 27 सितम्बर, 2012 द्वारा सेवाकाल में स्थायी रूप से अपंग होने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारियों के एक पात्र आश्रित को होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किये जाने तथा शासनादेश संख्या-संख्या-31/2021/1425/पन्चानबे-2021-606 होगा/08 टी0सी0 दिनांक 13 अगस्त, 2021 द्वारा स्थायी अपंगता के फलस्वरूप सेवा हेतु अनुपयुक्त हो जाने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक पदाधिकारियों को रूपया 5,00,000/- (रूपया पॉच लाख मात्र) की अनुग्रह राशि प्रदान करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि विगत कुछ समय से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सेवा समाप्ति की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष पूर्ण करने वाले होगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक पदाधिकारियों द्वारा अपनी सेवा समाप्ति से कुछ समय पूर्व स्थायी अपंगता का कोई न कोई कारण प्रदर्शित करते हुये शासन द्वारा निर्धारित अनुग्रह राशि को प्राप्त करने तथा अपने किसी एक आश्रित को होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर भर्ती कराने के अनुचित प्रयास किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 16.11.2022 में हुये विचारविमर्श के आधार पर शासन के पत्र संख्या-2414/पन्चानबे-2022-56 प्रकीर्ण/2017 दिनांक 21.09.2022 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त के प्रस्तर-6 में महासमादेष्टा होमगार्डस, उ0प्र0 को यह निर्दिष्ट किया गया कि स्थायी अपंगता के प्रकरण में अनुग्रह राशि तथा आश्रित की नियुक्ति के दुरूपयोग की शिकायतों के दृष्टिगत विभिन्न जनपदों में स्थायी अपंगता के प्रकरण में आश्रित की नियुक्ति तथा अनुग्रह राशि का भुगतान अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया जाए।

3. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थायी रूप से अपंग होने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों/

..........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

.......2........

अवैतनिक पदाधिकारियों को अनुग्रह राशि प्रदान करने तथा उनके एक आश्रित को होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता न हो, इसलिये ऐसे प्रकरण में अनुग्रह राशि प्रदान करने एवं उनके एक आश्रित को सेवायोजित करने की उक्त प्रक्रिया पर अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाय। इसके साथ ही यह भी निर्णीत हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में यदि ऐसे आश्रित को पूर्व में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा चुका है तो उन्हें प्रशिक्षण प्रदान न कराया जाय और यदि कोई आश्रित वर्तमान में प्रशिक्षण पर है तो उन्हें ड्यूटी पर तैनात न किया जाय।

4. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के अग्रिम आदेशों तक उक्त प्रस्तर-3 में वर्णित निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश निर्गत करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
आशुतोष चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव

<u>संख्या-53/2022/2770(1)/पन्चानबे-2022-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), होमगार्डस विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, होमगार्डस विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आशुतोष चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, जेल रोड, लखनऊ-226005

फोन+522-2451388 सीयूजी-91-8005194100, फैक्स+91-522-2450251, ई0मेल cghg-up@nic.in

पत्र संख्या:10754/कार्मिक/हो0स्व0-80/2022 **दिनांक:दिसम्बर 8, 2022**

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

जनपदीय इकाईयों में आश्रित कोटे में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों (आश्रितों) की ऊँचाई की माप निर्धारित मानक से कम पाये जाने की दशा में असंतुष्ट आश्रित द्वारा प्राय: होमगार्ड्स मुख्यालय पर उपस्थित होकर पुन: शारीरिक माप कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के दृष्टिगत कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार होमगार्ड्स मुख्यालय स्तर से ऐसे अभ्यर्थियों (आश्रितों) की पुन: शारीरिक माप हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है:-

1- डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल (प्रशिक्षण), के0प्र0सं0, हो0गा0, उ0प्र0 लखनऊ।

2- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, हो0गा0 मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

3- कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी (आर0 एण्ड पी0), हो0गा0 मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

जनपदीय इकाईयों में शारीरिक माप से असंतुष्ट अभ्यर्थी (आश्रित) यदि होमगार्ड्स मुख्यालय पर उपस्थित होकर पुन: शारीरिक माप हेतु याचना की जाती है तो उपरोक्त समिति द्वारा पुन: शारीरिक माप करके अपनी रिपोर्ट कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जिस पर कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्यावाहियॉ सुनिश्चित की जायेंगी।

(विवेक कुमार सिंह)
डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- होमगार्ड्स मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।

2- डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल (प्रशिक्षण), के0प्र0सं0, हो0गा0, उ0प्र0, लखनऊ।

3- डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स, परिक्षेत्र आगरा/प्रयागराज/झांसी/लखनऊ।

4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश।

5- समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, म0प्र0के0, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

(विवेक कुमार सिंह)
डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल।

संख्या-42/2023/1591/पन्चानबे-2023

प्रेषक,

पद्माकर शुक्ला,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊ: दिनांक 18 अगस्त, 2023

विषय- सेवावधि में मृत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के आश्रितों की अन्य जनपद या अन्य ब्लॉक में भर्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय मृतक होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के आश्रित मृतक होमगार्ड्स की तैनाती से भिन्न जनपद अथवा उसी जनपद की भिन्न कम्पनी/ब्लॉक में निवासरत रहते हैं। ऐसे आश्रितों के पास मृतक होमगार्ड्स के जनपद व कम्पनी/ब्लॉक का निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के कारण संबंधित जिला कमाण्डेन्ट्स द्वारा अनुकंपा के आधार पर उनका चयन होमगार्ड्स स्वयंसेवक के रूप में करने हेतु उनसे मृतक होमगार्ड्स से संबंधित कम्पनी/ब्लॉक का निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जिससे उनकी नियुक्ति में विलंब होता है।

2- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त सेवावधि में मृत होमगार्ड्स स्वयंसेवक के एक पात्र आश्रित की अन्य जनपद या अन्य ब्लॉक में भर्ती किये जाने के संबंध में निम्नवत व्यवस्था की जाती है:-

1- मृतक होमगार्ड्स का आश्रित यदि मृतक की कम्पनी/ब्लॉक/जनपद से भिन्न कम्पनी/ब्लॉक या जनपद में निवास करता है, तो उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर मृतक होमगार्ड्स के आश्रित का समायोजन उसके द्वारा प्रार्थित जनपद/कम्पनी/ब्लॉक में तत्काल करने की कार्यवाही की जाय।

2- यदि मृतक होमगार्ड्स के आश्रित द्वारा उसी जनपद की भिन्न कम्पनी/ब्लॉक में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाए, तो संबंधित जिला कमाण्डेन्ट द्वारा उसे अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्काल कार्यवाही की जाय।

3- यदि मृतक होमगार्ड्स के आश्रित द्वारा मृतक होमगार्ड्स के जनपद से भिन्न जनपद में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाए, तो संबंधित जनपद के जिला कमाण्डेन्ट द्वारा मृतक होमगार्ड्स से संबंधित समस्त आवश्यक अभिलेख मृतक के आश्रित द्वारा प्रार्थित जनपद के जिला कमाण्डेन्ट को तत्काल प्रेषित कर दिए जाय।

4- अभिलेख प्राप्त होने के तत्काल बाद मृतक होमगार्ड्स के आश्रित द्वारा प्रार्थित जनपद के जिला कमाण्डेन्ट द्वारा उक्त मृतक होमगार्ड्स के आश्रित को होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही अधिकतम एक माह के अन्दर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

3- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
पद्माकर शुक्ला
संयुक्त सचिव

संख्या-42/2023/1591(1)/पन्चानबे-2023, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

2- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

3- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जय सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-50 /2023/2249 /पन्चानबे-2023-188होगा/06

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग   लखनऊः दिनांक 05/12/ 2023

विषय- होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी के पद पर सेवायोजित किये जाने की समयावधि के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को शासनादेश संख्या-2013/छःनासु-12-188होगा/06, दिनांक 27.09.2012 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किये जाने की कार्यवाही की जाती है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-5 में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है:-

''मृतक आश्रित के तौर पर भर्ती होने के लिए आवश्यक है कि सम्बन्धित होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने की तिथि से पांच वर्ष के भीतर आवेदन कर दिया गया हो। अपरिहार्य परिस्थितियों में आवेदन करने की पांच वर्ष की अधिकतम समय सीमा में शिथिलीकरण शासन की अनुमति से किया जा सकता है।''

2- शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में संबंधित जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स द्वारा संबंधित होमगार्ड्स स्वयंसेवक की मृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होना प्रदर्शित करते हुये आश्रित को पांच वर्ष की सीमा के उपरांत भी बिना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासन की अनुमति के सेवायोजन की कार्यवाही कर ली जाती है। इससे उक्त शासनादेश दिनांक 27.09.2012 की मंशा विफल हो जाती है।

3- अत: होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2013/छ:नासु-12-188होगा/06, दिनांक 27.09.2012 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवावधि में मृतक/स्थायी अपंग होमगार्ड्स के आश्रित की नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों में यदि नियोक्ता प्राधिकारी के रूप में संबंधित जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स द्वारा मृतक होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की मृत्यु की तिथि से पांच वर्ष की समय सीमा के अंतर्गत उनके पात्र आश्रित को सेवायोजित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो उक्त समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त ऐसे प्रकरणों में सेवायोजन हेतु शासन स्तर से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, भले ही सेवायोजन हेतु आवेदन पांच वर्ष की अवधि के अन्दर प्राप्त हो गया हो।

4- उपर्युक्त स्पष्टीकरण तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा तथा उक्त शासनादेश दिनांक 27.09.2012 में उल्लिखित अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 50 /2023/2249 (1)/पन्चानबे-2023, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
2- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
3- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जय सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in